

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं० : 224/2018

अनवान :

1. मोहम्मद रफीक कुरैशी पुत्र श्री जीरदीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मोहम्मद इकबाल कुरैशी पुत्र श्री जीरदीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. बतूल पत्नी मोहम्मद इकबाल कुरैशी जाति व्यापारी मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- वादीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ढाणीबडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)
2. रामस्वरूप पुत्र श्री गणपतराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणीबडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)
3. सरजीत पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ढाणीबडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)
4. भूपसिंह पुत्र चुनीराम जाति ब्राह्मण निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. बक्सू खां पुत्र लाल मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. सत्तार पुत्र मूला जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. रानी पुत्री मूला जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
8. राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता तकसीम एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्त.अधि. 1955

उपस्थिति : वकील श्री किसनलाल यादव : वादीगण

निर्णय

दिनांक : 31-01-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अजीतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं० 191/471 के खसरा सं० 722 की 5.2740 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी सं० 1 का 1.821 है०, वादी सं० 2 का 0.127 है० वादी सं० 3 का 0.316 है०, प्रतिवादी सं० 1 जगदीश का 0.506 है० प्रतिवादी सं० 2 रामस्वरूप का 0.380 है०, प्रतिवादी सं० 3 सरजीत का 0.127 है०, प्रतिवादी सं० 4 भूपसिंह का 1.012 है०, प्रतिवादी सं० 5 बक्सू खां का 0.759 है० प्रतिवादी सं० 6 व 7 सतार व रानी का संयुक्त रूप से 0.225-1/6 है० पक्षकारान के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण तीनों एक ही परिवार के सदस्य है। वादी सं० 1 व 2 दोनों सगे भाई है तथा वादिया सं० 3 वादी सं० 2 की पत्नी है तीनों वाद भूमि को इकजाई तौर से काश्त करते है। तीनों की अन्य खातेदारी से भूखण्ड से सीव डोल बनी हुई है। वादीगण के खेत का खाता अन्य



खातेदारान के साथ संयुक्त रहने से वादीगण के सीव डोल लगान इत्यादि बाबत अक्सर विवाद होते रहते है। इसलिए वादीगण तीनों अपने नाम दर्ज भूमि को इकजाई रखते हुए शेष खातेदारान से अपना खाता एवं लगान अलग करवाना चाहते है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 को बार बार आवाज लगाई गई। बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सं० 6, 7 ने रजि०डाक लेने से इन्कारी के साथ वापस प्राप्त हुई बार बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं आया, इसलिए उनके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी में वादी रफीक कुरेशी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम अजीतपुरा खाता सं० 191/471 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, नजरी नक्शा ग्राम मौजा अजीतपुरा प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पूर्व में पक्षकारान की सुनवाई के उपरान्त प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु भेजी गई थी जिस पर तहसीलदार भादरा विभाजन प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्से में निम्नानुसार रहेगी :-

1. मोहम्मद रफीक 1.821 है० ईकबाल 0.127 है० पि० जीरदीन बतुल पत्नि मोहम्मद ईकबाल कुरेशी 0.316 है० कौम मुसलमान सा० देह खातेदार : ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं० 722 की 2.264 है० क्षेत्रफल 2.264 है० बारानी
2. सतार पुत्र मुला 0.113 है० रानी पुत्री मुला 0.113 कौम मुसलमान सा० देह खातेदार : ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं० 722/1 की 0.226 है० क्षेत्रफल 0.226 है० बारानी
3. जगदीश 0.506 है० सरजीत 0.127 है० पि० रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र गणपत 0.380 है० कौम ब्राह्मण सा० ढाणी बड़ी (राजगढ़) खातेदार राहिन : ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं० 722/2 की 1.013 है० क्षेत्रफल 1.013 है० बारानी
4. भूपसिंह पुत्र चुनीलाल कौम जाट 1.012 है० सा० देह खातेदार : ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं० 722/3 की 1.012 है० क्षेत्रफल 1.012 है० बारानी
5. बक्शुखां पुत्र लालमोहम्मद 0.759 है० कौम व्यापारी मुसलमान सा० देह खातेदार : ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं० 722/4 की 0.759 है० क्षेत्रफल 0.759 है०

चूंकि रामस्वरूप की 0.127 है० सरजीत की 0.127 है० जगदीश की 0.506 है० कृषि भूमि एयु स्माल बैंक लिमिटेड शाखा सरदारशहर के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जाकर उनके हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-01-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं० : 224/2018

अनवान :

1. मोहम्मद रफीक कुरैशी पुत्र श्री जीरदीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मोहम्मद इकबाल कुरैशी पुत्र श्री जीरदीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. बतूल पत्नी मोहम्मद इकबाल कुरैशी जाति व्यापारी मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- वादीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ढाणीबडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)
2. रामस्वरूप पुत्र श्री गणपतराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणीबडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)
3. सरजीत पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ढाणीबडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)
4. भूपसिंह पुत्र चुनीराम जाति ब्राह्मण निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. बक्सू खां पुत्र लाल मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. सत्तार पुत्र मूला जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. रानी पुत्री मूला जाति मुसलमान निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
8. राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किसनलाल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्से में निम्नानुसार रहेगी :-

1. मोहम्मद रफीक 1.821 है० इकबाल 0.127 है० पि० जीरदीन बतूल पत्नी मोहम्मद इकबाल कुरैशी 0.316 है० कौम मुसलमान सा० देह खातेदार : ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं० 722 की 2.264 है० क्षेत्रफल 2.264 है० बारानी
2. सतार पुत्र मुला 0.113 है० रानी पुत्री मुला 0.113 कौम मुसलमान सा० देह खातेदार : ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं० 722/1 की 0.226 है० क्षेत्रफल 0.226 है० बारानी
3. जगदीश 0.506 है० सरजीत 0.127 है० पि० रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र गणपत 0.380 है० कौम ब्राह्मण सा० ढाणी बडी (राजगढ़) खातेदार राहिन : ग्राम अजीतपुरा खसरा सं० 722/2 की 1.013 है० क्षेत्रफल 1.013 है० बारानी



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

4. भूपसिंह पुत्र चुनीलाल कौम जाट 1.012 है० सा० देह खातेदार : ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं० 722/3 की 1.012 है० क्षेत्रफल 1.012 है० बारानी
5. बक्शुखां पुत्र लालमौहम्मद 0.759 है० कौम व्यापारी मुसलमान सा० देह खातेदार : ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं० 722/4 की 0.759 है० क्षेत्रफल 0.759 है०

चूंकि रामस्वरूप की 0.127 है० सरजीत की 0.127 है० जगदीश की 0.506 है० कृषि भूमि एयु स्माल बैंक लिमिटेड शाखा सरदारशहर के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जाकर उनके हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



47
(फास्ट ट्रेक) सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

